

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :- 139/2025

गुरदीप सिंह पुत्र बोहड़ सिंह पुत्र आत्मा सिंह जाति कुम्हार निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

-वादी

बनाम

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. बोहड़ सिंह पुत्र आत्मा सिंह 2. अमनदीप कौर पुत्री बोहड़ सिंह 3. सन्दीप कौर पुत्री बोहड़ सिंह 4. गुरदेव सिंह 5. सुखदेव सिंह 6. परमजीत कौर 7. दानकौर पत्नी वीरसिंह | <p>जाति कुम्हार निवासी मानकसर
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)</p> <p>पुत्र/पुत्री वीर सिंह जाति कुम्हार निवासीगण
कुम्हारावाला तहसील लम्बी जिला मुक्तसर
साहिब (पंजाब)</p> |
|--|--|

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अं. धारा 88 आर.टी.ए.

दिनांक :- 16.9.2022

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक (आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कर्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री कैलाश सिंवल अभिभाषक वादी व श्री परविन्द्र सिंह अभिभाषक प्रतिवादीगण मिन जामिन मुदई की उपस्थिति में वाद वादी स्वीकारात्मक जवाबदावा के आधार पर डिक्री किया जाकर तहसीलदार (राजस्व) संगरिया को आदेशित किया जाता है कि वादी को चक नं. 16 एम.के.एस. के खाता सं. 219/154 ज.सं. 2070-73 में 0.759 है. का खातेदार काशतकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी सं. 4 गुरदेव सिंह, प्रतिवादी सं. 5 सुखदेव सिंह, प्रतिवादी नं. 6 परमजीत कौर व प्रतिवादी से 7 दान कौर के नाम कलमजन किये जाते हैं तथा चक नं. 6 एनजीआर के खाता सं. 159/131 ज.सं. 2072-75 में वादी को 0.417 है. का खातेदार काशतकार घोषित किया जाकर वीर सिंह पुत्र बिशन सिंह का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। आराजी बैंक के पक्ष में रहन होने की स्थिति में बैंक रहन से मुक्त होने पर ही राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तकको अदा करें।

बसबत मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 16.9.2022 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)

**सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया**